

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/विकास/2022/ २९

रीवा, दिनांक : 17-1-2022

प्रति,

प्राचार्य,

~~सम्बद्ध अस्थायी महाविद्यालय~~
~~177 को पय मोजा गया।~~

विषय:- सत्र 2021-2022 के लिए अस्थायी सम्बद्धता/अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण में लगायी गई शर्तों की पूर्ति सम्बन्धी पालन प्रतिवेदन शपथपत्र में प्रस्तुत करने बावत्।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.10.2021 के आइटम क्रमांक दो (अध्यक्ष की अनुमति से) की संस्तुति तथा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी द्वारा किये गये अनुमोदन अनुसार लेख है कि सत्र 2021-22 के लिये अस्थायी सम्बद्धता/अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण में लगायी गई शर्तों की पूर्ति प्रथमतः कॉलेज कोड-28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति तीन माह में अनिवार्यतः करायी जाकर पालन प्रतिवेदन शपथपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जाय। ऐसा नहीं करने पर आगामी सत्र 2022-2023 से महाविद्यालय का नाम पोर्टल से हटाया जाकर महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी, जिससे होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिये महाविद्यालय की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

“पत्र को प्राथमिकता दें”

आदेशानुसार,

hlois
कुलसचिव 13/01/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
2. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
3. कुलपति जी के सचिव।
4. कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम0पी0 आनलाइन, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

Amu
सहायक कुलसचिव (विकास) 13/01/2022